



FS 426739

Form - RA1

Affidavit for Separate Bank Account (Notarized)

To,

Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority

Naveen Bhawan, Rajya Niyojan Sansthan,

Kalakankar House Road, Old Hyderabad,

Lucknow, Uttar Pradesh - 226007

Sub: Affidavit/Declaration for Separate Bank Account of Project "Dwarika Orchid Phase 2"

I, Mr. Chottey Lal Bansal, duly authorized by the promoter "Puspanjali Realtors Private Limited" of the proposed project, do hereby solemnly declare, undertake and state that there is no lien placed by the bank or any other financial institution on the Separate Bank Account No. 2376201051092 opened at SME (Branch) of Canara Bank.

For Puspanjali Realtors Pvt. Ltd.


Director
Deponent

Verification

The contents of my above Affidavit cum Declaration are true and correct and nothing material has been concealed by me therefrom.

Verify by me at Agra on this 13 date of Oct 2020.

Signature Attestation
For Puspanjali Realtors Pvt. Ltd.

Nita Rani Gupta
Dist. NOTARY, AGRA
(Gazetted Officer)

Director
Deponent

महोदय

संलग्न पत्र श्रीमान अधीशाही अधिकारी (अवन) आगरा
विकास प्राधिकरण आगरा सेप नं-2018/11/6735210
643 दि० 30-11-18 के अनुसार स्वसरा सं. 1608 पी,
प्लॉट सं. 1 से 14 को जू. बाव डल मुं आगरा प्लॉट आगलान
मानचित्र की खोज कर हेतु रुक जायेगी, जारी किए
के सम्बन्ध में हो। सन 2018 में / आगलान
प्रकाश है।

- 1- यह कि गांधी बाई डल मुं के गांधी-1608 प्लॉट
नॉली, लालाव, पोलर, शमशान प्लाट, मवाड वगैरह
हस्तगत, पारागाह, मधुना इव हेतु अथवा
सार्वजनिक उपयोग व असम अथवा, नहीं है।
 - 2- उपरोक्त प्लॉट गांधी सभा / रासायनिक की
बान नहीं है।
 - 3- उपरोक्त प्लॉट बाजरी की आहूत। नकुल अथवा
लीलेट की बान नहीं है।
 - 4- उपरोक्त प्लॉट का एवाकल आगे एक के -
पक्ष में है।
- आत रुक जायेगी जारी पिछे जाते
हेतु आगलान केवले जारी है। - 2018
मानचित्र साधन संलग्न है।

प-12-2018

2018
12

तहसीलदार (सदर)
आगरा

कार्यालय तहसीलदार (सदर) आगरा

पत्रांक संख्या 291 / एम0 जे0

दिनांक: 31/11/18

विषय:- खसरा संख्या-1608पी, प्लॉट संख्या-1 से 14 मौजा बाईपुर आगरा पर
ऑनलाईन मानचित्र की स्वीकृति हेतु एन0ओ0सी जारी करने के सम्बन्ध में।

अधिशाली अभियन्ता(भवन)
आगरा विकास प्राधिकरण
आगरा।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्रांक सं0-20181116135219643/दिनांक 30/11/2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। जिसके द्वारा श्री महेश चन्द अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री द्वारिका प्रसाद अग्रवाल निवासी-13बी0 बैंक हाउस, खन्दारी आगरा द्वारा आवसीय मानचित्र की स्वीकृति हेतु एन0ओ0सी0 जारी करने हेतु निर्देशित किया गया

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त प्रकरण की जाँच क्षेत्रीय लेखपाल सदर द्वारा कराई गई। जिसकी आख्या मूलरूप में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक यथोक्त।


तहसीलदार (सदर)
तहसीलदार (सदर),
आगरा।

कार्यालय नगर निगम आगरा

पत्रांक 29/D/SNA/10

दिनांक 11-12-10

सेवा में,

महेशचन्द अग्रवाल पुत्र स्व० द्वारिका प्रसाद अग्रवाल

निवासी 13बी, बैंक हाउस, खन्दारी, आगरा।

विषय :- अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक स्वकीय पत्र दिनांक 05.12.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

मौजा-बौईपुर, तहसील व जिला आगरा के खसरा सं०-1608(पी) जिसमें प्लॉट नं० 1 से 14 तक में नगर निगम आगरा की कोई भूमि शामिल है या नहीं तथा सीमा के अन्दर या बाहर की जानकारी चाही गई है।

उपरोक्त के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि मौजा-बौईपुर के खसरा सं० खसरा सं०-1608(पी) जिसमें प्लॉट नं० 1 से 14 तक तहसील व जिला आगरा नगर निगम आगरा की सीमा क्षेत्र से बाहर है।

सहायक नगर आयुक्त
नगर निगम, आगरा।

सहायक नगर आयुक्त
नगर निगम, आगरा,

TPL/ AGRA/ ADA/ NOC/ 18-19/8347

17.12.2018

To

Executive Engineer

Agra Development Authority,

Jaipur House, Agra

Sub : Issuance of NOC

Dear Sir,

This has reference to your letter ref. 20181116135219643 along with annexed map of property bearing drawing of Khasra no 1608(P), Plot no -1 to 14, Mauja baipur agra. We have observed following during the site visit as per present physical condition of premise.

1. No HT/LT line passes through the plot.

In addition to above, any construction of permanent or temporary nature, the developer shall have to maintain clearance of the electric lines as per the provisions of The Indian Electricity Rules 1956. The details of which are as under:

Sr. No	Voltage level of electric line	Vertical clearance to be maintained	Horizontal clearance to be maintained
1	Low Voltage Line (230 Volts / 440 Volts)	2700 mm	1200 mm
2	11000 Volts Line	3700 mm	1200 mm
3	33000 Volts Line	3700 mm	2000 mm
4	132000 Volts Line	4600 mm	2900 mm
5	220000 Volts Line	5200 mm	3500 mm

Moreover, the developer / builder shall ensure to provide sufficient space for electrical substation, electric meters and other service apparatus in the proposed constructions and the plans / drawings are to be approved accordingly. Provisions shall be made for the following as per the provisions of Electricity Supply Code of Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission.

TORRENT POWER LIMITED

CIN : L31200GJ2004PLC044068

6, Raghunath Nagar, Suresh Plaza Market, Opp. Sanjay Place, M.G. Road, Agra, Uttar Pradesh - 282002.

Reg. office-"Tapovan", 600 Tapovan, Ambawadi, Ahmedabd-380015 India. Website www.torrentpower.com

1. A space for electric substation to house distribution transformers and other HT/LT switchgears of minimum size of 7000 mm x 4000 mm is to be provided by the developer / builder, if the existing low voltage electricity distribution network is not sufficient to cater to the demand of new constructions.
2. A space for electric substation to house distribution transformers and other HT/LT switchgears of minimum size of 7000 mm x 4000 mm shall be provided by the developer / builder, if the land piece under reference shall be used for multi-storied building of height 15 meter and above.
3. The space shall be provided in such as way that the electric substation remains approachable by motor vans with minimum 3 meters width from the public road to electrical substation.
4. The developer / builder shall provide space for electric meter and other service apparatus at the ground floor level. Exact space requirement shall be based on the number and type of connections.

This "No Objection Certificate" is issued on 17 dec 2018 on the request of Agra Development Authority and is subjected to the compliance of the above provisions. The attested copy of the plan is attached herewith.

Thanking you,

Yours sincerely

[Signature]
17/12/2018
Manager

Torrent Power Limited

Encl: As above

प्रेषक,

सचिव प्रबन्धक,

जलकल विभाग, आगरा।

सेवा में,

सहायक अभियन्ता (भवन)

आगरा विकास प्राधिकरण,

आगरा।

पत्रांक: 140/स0प्र0/ज0क0वि0/एन.ओ.सी./18-19

दिनांक 26/12/2018

विषय:- अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके मैप नं0-20181116135219643, दिनांक 30.11.2018 का सन्दर्भ लें।

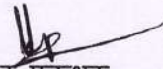
श्री महेशचन्द्र अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री द्वारिका प्रसाद अग्रवाल निवासी-13/बी, बैक हाउस, खन्दारी, आगरा जिसके द्वारा खसरा सं0-1608पी प्लान्ट सं01 से 14 भौजा बाईपुर, आगरा, पर प्रस्तुत ऑनलाईन मानचित्र हेतु एन. ओ. सी प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिये प्रेषित किये गये प्रस्ताव के क्रम में जो नगर निगम सीमा के बाहर है, आगरा जलकल विभाग, आगरा द्वारा निम्न प्रतिबन्धों के साथ आपेक्षित अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है -

1. सम्बन्धित क्षेत्र में आगरा जलकल विभाग की वर्तमान में जलापूर्ति की व्यवस्था न होने के कारण भविष्य में उक्त क्षेत्र में जलापूर्ति के लिये पाइप लाइन आदि बिछाये जाने व पानी की आवश्यक व्यवस्था के कार्यों हेतु आवश्यक विकास शुल्क/अनुपातिक व्यय आगरा जल संस्थान, आगरा में जमा कराया जायेगा जो उक्त भू-स्वामी द्वारा देय होगा।
2. अनापत्ति प्रमाण पत्र केवल प्रस्तावित भूमि पर केवल ऑनलाईन मानचित्र निर्माण के लिये ही निर्गत किया जा रहा है। इस कार्य के अतिरिक्त यदि भूमि अन्य प्रयोजन में ली जाती है तो पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
3. प्रस्तावित भूखण्डीय विकास हेतु आवश्यक जलापूर्ति एवं ड्रेनेज निस्तारण हेतु जलकल विभाग आगरा द्वारा कोई व्यवस्था/सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जायेगी एवं यह व्यवस्था मानचित्र प्रस्तोता को स्वयं अपने व्यय व स्तर पर निर्धारित मानकों के अनुरूप करनी पड़ेगी जिसके संचालन एवं रख-रखाव का दायित्व भी उसी का होगा।
4. सीवर की व्यवस्था के लिए उचित सीवर शोधन एवं उसके निस्तारण हेतु पर्यावरण को दृष्टिकोण में रखते हुए वैज्ञानिक रूप से निस्तारण कराना होगा।
5. सम्बन्धित क्षेत्र में यदि भविष्य में सीवर लाइन डाली जाती है तो सक्षम अधिकारी से स्वीकृति एवं सीवर संयोजन हेतु निर्धारित देयों का जल संस्थान को भुगतान करने पर ही दिया जा सकेगा।
6. सम्बन्धित क्षेत्र में पाइप लाइन न होने के कारण भविष्य में पाइप लाइन डाली जाती है तो सक्षम अधिकारी से स्वीकृति एवं जल संयोजन हेतु निर्धारित देयों का जल संस्थान को भुगतान करने पर ही दिया जा सकेगा।

7. सम्बन्धित क्षेत्र हेतु जलापूर्ति एवं सीवर व्यवस्था हेतु किये जाने वाले कार्यों पर होने वाले व्यय से सम्बन्धित विकास शुल्क/अनुपातिक व्यय का भुगतान करना होगा।
8. भविष्य में जलापूर्ति एवं सीवर व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने पर भू-स्वामी/भूमि का उपयोग करने वाले व्यक्ति/फर्म को जल संयोजन एवं सीवर संयोजन के लिये जल संस्थान के समक्ष प्रथक से आवेदन कराना होगा और उस पर नियमानुसार देय भुगतान करने के उपरान्त ही जल संयोजन एवं सीवर संयोजन की सुविधा उपलब्ध कराने एवं भविष्य में नियमित रूप से भुगतान करने की वचनबद्धता का अनुपालन कराने पर ही अनुमन्य होगा, जिसके लिये षपथपत्र दिया जाना होगा।
9. प्रस्तुत ऑनलाईन मानचित्र में आन्तरिक जलापूर्ति व्यवस्था के लिये मानचित्र प्रस्तुतकर्ता को जल स्रोत एवं जल वितरण प्रणाली मानकों के अनुरूप तैयार करनी होगी तथा आन्तरिक सीवर व्यवस्था के लिये सीवर लाइनों एवं सीवर निस्तारण की व्यवस्था भी मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करनी होगी।

1. वर्तमान में सीवर लाईन की क्षमता। - सीवर की व्यवस्था नहीं है।
2. वर्तमान में जनसंख्या धनत्व। - सामान्य है।
3. क्या वर्तमान जनसंख्या धनत्व के लिये वर्तमान सीवर लाईन की क्षमता पर्याप्त है - अतिरिक्त सीवर व्यवस्था हेतु मानचित्र प्रस्तुतकर्ता को वैज्ञानिक विधि से सीवर निस्तारण करना होगा, ताकि भूमिगत जल स्रोत प्रदूषित न हो सके।
4. यदि उक्त बिन्दु 3 का उत्तर सकारात्मक है तो प्रस्तावित निर्माण से जनसंख्या धनत्व में वृद्धि। - बिन्दु 3 के अनुसार।
5. प्रस्तावित निर्माण के फलस्वरूप क्या वर्तमान सीवर लाईन की क्षमता पर्याप्त होगी ? - बिन्दु 3 के अनुसार।
6. क्या वर्तमान निर्माण में उत्सृजित सीवर को सीवर लाईन से जोड़ा जा सकता है ?- बिन्दु 3 के अनुसार।
7. क्या सीवर ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट की आवश्यकता है ? - बिन्दु 3 के अनुसार।
8. अन्य कोई शर्तें, अति आवश्यक हों।

भवदीय



सचिव प्रबन्धक
जलकल विभाग, आगरा

पृ.सं. एवं दिनांक:-

/तदैव/

प्रतिलिपि:-

1. महाप्रबन्धक, जलकल विभाग, आगरा को सादर सूचनार्थ।
2. श्री महेशचन्द्र अग्रवाल पुत्र स्व० श्री द्वारिका प्रसाद अग्रवाल निवासी-13/बी, बैक हाउस, खन्दारी, आगरा को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव प्रबन्धक